न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: मांगेराम पूनियां (तहसीलदार)

मिसल नं. ::: 24 / 2017

सरकार बनाम ईसब पुत्र नूरसा, जाति– मुसलमान, निवासी– बामनवास

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 15.03.2017

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल ईसब पुत्र नूरसा, जाति– मुसलमान, निवासी– बामनवास द्वारा रोही मौजा बामनवास की राजकीय भूमि ख.नं. 355 के कुल रकबा 25.75 है0 किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.03 है0 भूमि पर पुख्ता मकान व दुकान बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया गया कि खसरा नं. 355 ग्राम पंचायत के नाम दर्ज है। उक्त भूमि पर 50–60 वर्षो से मकानात व बाड़ा बानाकर परिवार सहित आबाद है। जवाब के संलग्न विक्रय का इकरारनामा की प्रतियां पेश की है, जिसमें ख. नं. 354 उल्लेखित है। अतः गैर सायल के जवाब एवं प्रस्तुत इकरारनामों में विरोधाभास है। गैर सायल के जवाब एवं पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किये गये मौका नक्शा के अनुसार गैर सायल का अतिक्रमण राजकीय गै.मु. जोहड़ भूमि ख.नं. 355 में है। ख.नं. 355 ग्राम पंचायत के नाम दर्ज नही होकर, राजकीय भूमि गै.मु. जोहड़ है। अतः गै.मु. जोहड़ की भूमि में गैर सायल का अतिक्रमण प्रमाणित होता है।चूंकि भूमि की किस्म गै.मु. जोहड़ है एवं माननीन राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में डी. बी. अपील सं. 1536 / 03 में दिये गये निर्णय के अनुसार नदी, नाले, जोहड़, पायतन आदि भूमि एवं जल प्रवाह व जल संग्रहण की भूमि के आवंटन / नियमन पर प्रतिबन्ध है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाव व अन्य CIVIL APPEAL NO.1132 /2011 @ SLP(C) No.3109/2011 (Arising out of Special Leave Petition (Civil) CC No. 19869 of 2010) निर्णय दिनांक 28 जनवरी 2011 के द्वारा आवंटन एवं प्रतिबन्धित भूमियों की श्रेणी में आती है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 9 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.03.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं. 46 पर
वर्ष 2016-17 में रूपये 9 कायम किए
राजस्व लेखाकार

(मांगेराम पूनियां)
तहसीलदार, सूरजगढ़